



EWS इकाई
₹ 4.68 Lac*

LIG इकाई
₹ 10.08 Lac*

उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुरूप
**दुर्बल एवं अल्प आय परिवारों
हेतु आवासीय योजना**

Delhi 99
CITY OF GARDENS

इस योजना के अन्तर्गत विकसित होने वाली आवासीय इकाइयाँ Delhi 99 में स्थित हैं
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाइयाँ
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा डू सिस्टम से आंबटन

**उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुरूप
M.R. PROVIEW REALTECH PVT. LTD.**

गाजियाबाद में दुर्बल एवं अल्प आय परिवारों हेतु आवासीय योजना दिल्ली 99

RERA Registration No. :

आपका विकास समाज का विकास है, समाज का विकास इस देश का विकास है। आपके विकास हेतु हम गाजियाबाद शहर में उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अनुरूप एक नवीन आवासीय योजना लाये हैं। इस योजना के अंतर्गत आप पायेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाइयाँ। जिनका आवंटन ड्राँ द्वारा किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका में इस योजना का संक्षिप्त विवरण है:

भवन के प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	उपलब्ध भवनों की संख्या	बेसिक विक्रय	पंजीकरण राशि मूल्य
EWS	25.03 से 29.08 तक	94	₹ 4.68 Lac* onwards	₹ 20000.00
LIG	35.34 से 38.10 तक	94	₹ 10.08 Lac* onwards	₹ 30000.00

*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।

अर्हता :

1. दुर्बल आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख तक होनी चाहिये। कोड 01
2. अल्प आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03-06 लाख होनी चाहिये। कोड 02
3. आवेदक को आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. विवरण पुस्तिका में संलग्न घोषणा पत्र के प्रारूप के अनुसार एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन :

योजना का आवेदन पत्र ब्रोशर में दिए गए बैंको की शाखाओं या मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० कार्यालय से ₹ 500/- का भुगतान कर खरीदा जा सकता है। विधिवत् रूप से भरा हुआ हस्ताक्षित आवेदन पत्र एवं पंजीकरण राशि, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार होगी, ब्रोशर में दर्शाये गए बैंको की शाखाओं में जमा कराएं।

EWS



Covered Area :
25.67sq.mt. (276.31sq.ft.)

LIG



Covered Area :
35.34sq.mt. (380.40sq.ft.)

SPECIFICATIONS

S.No.	Particulars	Description
1.	Structure	RCC frame structure with 4½" Brick Walls.
2.	Flooring	CC Flooring in Rooms, Kitchen, Toilet, Common Area & Stairs.
3.	Plastering	12mm thick cement plaster on all interior & exterior walls.
4.	Wall Finishers	White wash 2 Coat on all walls.
5.	Ceiling Finish	White Wash 2 Coat.
6.	Kitchen	RCC kitchen platform, SS Sink with Single Bowl & Standard PVC tap.
7.	Toilet Plumbing & Sanitary	WC with exposed PVC Cistern & PVC Tap, wash Basin with PVC Pillar cock and standard PVC Tap for bathing. Soil line, Waste line shall be of 4" dia PVC pipe with 4 kg pressure, 4" dia PVC nahani trap with jail in toilet and kitchen. Heavy duty PVC solvent pipe for all water lines.
8.	Cement DADO	a) For Toilet 450mm dado b) For Kitchen 150mm dado c) For WC 450mm dado d) Common area - 900mm dado
9.	Doors / Windows And ventilators	a) For main entrance 35mm thick, flush door with 35 x 35 x 5 mm angle Iron frame with 2 nos tower bolts of length 6" and 9", 2 nos. handles and 1 nos 12" M. S. aldrop. b) Toilet door will be flush door with M. S. angle door frame along with 2 nos. Tower bolts and 2 nos. handles. c) All windows and ventilators will be T & Z section along with 5mm clear Glass.
10.	Painting	a) All doors and windows shall be painted with one coat Primer and one coat of Oil Paint.
11.	Exterior Finish	Texture Water Proof Paint.
12.	Electrification	a) One light and One fan point in each room along with fan hook. b) One light point in kitchen and toilet / WC. c) PVC Conduiting in slab.
13.	Railing	1000 mm high M.S. railing in staircase and 1200mm high M.S. railing in corridor which are open, weight of Railings 10 kg @ SQM.

योजना का विवरण

1.0 योजना का नाम :

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अधीन विकसित हो रही दिल्ली 99 में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण।

2.0 स्थिति :

उक्त भवन प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में विकसित हो रही दिल्ली 99 में है जो कि "रेरा" के प्रावधानों के अन्तर्गत है।

2.1 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल, संख्या एवं मूल्य:

भवन के प्रकार	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	उपलब्ध भवनों की संख्या	बेसिक विक्रय	पंजीकरण राशि मूल्य
EWS	25.03 से 29.08 तक	94	₹ 4.68 Lac* onwards	₹ 20000.00
LIG	35.34 से 38.10 तक	94	₹ 10.08 Lac* onwards	₹ 30000.00

*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।

2.2 पंजीकरण धनराशि:

भवन के प्रकार	पंजीकरण धनराशि	कोड
दुर्बल आय वर्ग (EWS)	₹ 20000	01
अल्प आय वर्ग (LIG)	₹ 30000	02

बहुपंजीली आवासीय समूह

3.0 ग्राहता :

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक पर आवेदक वयस्क हो।

3.3 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समक्ष ही माना जायेगा।

3.4 अल्प आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03-06 लाख होनी चाहिये।

3.5 दुर्बल आय वर्ग के आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख तक होनी चाहिये।

3.6 आवेदक को आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जो कि अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

3.7 विवरण पुस्तिका में संलग्न घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.0 आवेदन कैसे करें :

4.1 इच्छुक आवेदक ₹ 500/- का भुगतान कर एक्सिस बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से या नैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० के कार्यालय से ब्रोशर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोशर में संलग्न आवेदन पत्र को आवश्यक जानकारी भरकर नैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० के मुख्य कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा एवं ड्रॉ में शामिल नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका नियम व शर्तों सहित दिनांक से तक एक्सिस बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से या नैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० के कार्यालय से ₹ 500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है। विधिवत् रूप से भरा हुआ हस्ताक्षित आवेदन पत्र एवं पंजीकरण राशि, बैंक ड्राफ्ट, जो M.R. Proview Realtech Pvt. Ltd. के नाम से होगा, के रूप में ही स्वीकार होगी, के साथ नैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० के मुख्य कार्यालय जी.एन.बी., राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाजियाबाद पर जमा किये जाएंगे।

एक्सिस बैंक की शाखाएं :

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद
2. एक्सिस बैंक लिमिटेड, राजेन्द्र नगर पुलिस चौक, साहिबाबाद, गाजियाबाद
3. एक्सिस बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. डी-46, आर.डी.सी., गाजियाबाद
4. एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्दिरापुरम, वैभव खण्ड, गाजियाबाद

- 4.2 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे। एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र की राशि ₹ 500/- वापिस नहीं की जायेगी।
- 4.3 आवेदक को आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना आवश्यक होगा।

5.0 आवंटन प्रक्रिया :

5.1 आवंटन धनराशि:

झा के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के रूप में आवंटन पत्र में उल्लिखित खाते के पक्ष में जमा कराना होगा।

5.2 किश्तें :

आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि 3 वर्षों तक कन्सट्रक्शन लिंक प्लान में 12 त्रैमासिक किश्तों में 10 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। शेष धनराशि जमा कराने का स्थान/समय आवंटन-पत्र द्वारा अवगत कराया जायेगा। आवंटन की तारीख से किश्तों का निर्धारण होगा।

- 5.3 आवंटन राशि/किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक मास की अनुग्रह अवधि दी जायेगी। लेकिन यदि देय तिथि को किश्त की किसी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जायेगी।

- 5.4 आवंटियों के केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत (पत्र होने की स्थिति में) बैंक ऋण प्राप्त कराने में मैसर्स एन.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 लि0 द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6.0 दण्ड ब्याज :

- 6.1 यदि मैसर्स एन.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 लि0 को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 10% दण्ड ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। तीन महीने की अवधि में भुगतान ना करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.0 समर्पण/निरस्तीकरण :

- 7.1 किसी भी परिस्थिति में झा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस किये जाने का प्रावधान नहीं है। झा होने के बाद बच गए आवेदकों की पंजीकरण धनराशि कंपनी में दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर वापिस की जायेगी।

- 7.2 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटन भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

- 7.3 यदि नियम व शर्तों का उल्लंघन के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया जाता है, तो पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

- 7.4 आवेदन तिथि से 6 माह के पश्चात् किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में भवन की कुल कीमत की 10 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

- 7.5 यदि आवंटि कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो ₹ 1000/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर बढ़ोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं धारा 7.4 के अनुसार कटौती करके शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।

7.6 भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें अदा ना करने पर भवन का नियमानुसार आर्बटन निरस्त करने का अधिकार मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 लि0 को होगा।

8.0 आय सीमा :

दुर्बल आय वर्ग हेतु आय सीमा रुपये 25000 प्रति माह एवं अल्प आय वर्ग हेतु 25001 से 50000 प्रति माह तक है।

9.0 कोटा :

9.1 निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। जो नीचे दिये गये प्रतिशत के अनुसार होगी।

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड	कोटा
1.	अनुसूचित जाति	02	21%
2.	अनुसूचित जनजाति	03	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी आयु 50 वर्ष से अधिक हो		
(क)	रक्षा कार्मिक	05	5%
(ख)	सरकारी कर्मचारी	06	5%
5. (क)	स्वतन्त्रता सेनानी	08	5%
(ख)	संसद सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद सदस्य	09	5%
6. (क)	उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10	2%
(ख)	सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	2%
(ग)	उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी	12	2%
(घ)	उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	13	2%
(ङ)	उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	2%
(च)	उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15	2%
(छ)	आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16	2%
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	1%

नोट: आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और द्वा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10.0 क्षैतिज आरक्षण:

- 10.1 विकलांग आवेदकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा अतः विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। विकलांग कोड 01 है।
- 10.2 वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य है कि योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष होनी चाहिये। वरिष्ठ नागरिक कोड 07 है।
- 10.3 विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और झा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 10.4 यदि आरक्षित श्रेणियों में आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

11.0 झा प्रक्रिया :

- 11.1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में योजना झा सिस्टम से आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। झा की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। योजना का झा लगभग 03 माह में सम्पादित होगी। आवेदकों की सूची प्राधिकरण स्तर पर जांच के बाद बनायी जायेगी।
- 11.2 इस प्रक्रिया से 50 आवेदकों की प्रतिक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिनको आवंटन के बाद असफल आवेदकों की जगह आवंटन किया जा सकेगा।

12.0 असफल आवेदक:

- 12.1, जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी। आवेदक पत्र में अपना खाता संख्या व IFSC कोड एवं बैंक का नाम अवश्य भरें। रिफंड की स्थिति में इसी खाता संख्या का उपयोग होगा।
- 12.2 असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी झा निकालने के एक माह पश्चात् प्रारम्भ की जायेगी। प्रतीक्षा सूची में नामित आवेदकों की पंजीकरण राशि एक वर्ष बाद बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 12.3 पंजीकरण धनराशि की वापसी सीधे आवेदक के खाते में जमा करायी जायेगी। इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।

13.0 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना :

- 13.1 यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएँ दी गई हैं अथवा उसने किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14.0 विक्रय विलेख :

- 14.1 भवनों का आवंटन फ्री होल्ड के आधार पर किया जायेगा। विक्रय विलेख का निष्पादन मैसर्स एन.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा एवं इस हेतु आने वाले व्यय आवंटनी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। आवंटन की तिथि से 05 वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबंध रहेगा।

15.0 पोजेशन :

- 15.1 इस योजना में भवन का कब्जा निर्धारित मूल्य का 100 प्रतिशत धनराशि एवं अनुबन्ध विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा जिसका व्यय आवंटनी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटनी को समय-समय पर लागू होने वाले सनस्त रखरखाव शुल्क संबंधित रखरखाव कंपनी को देना होगा। कब्जा लेने की तिथि से तीन माह के बाद से रख रखाव शुल्क की देयता होगी।
- 15.2 आवंटनी को विद्युत, पावर बैंकअप, जलापूर्ति, जल-मल निकासी, इन्ट्रेस्ट फ्री मेन्टेनेंस सिक्योरिटी (वन टाइम), इलेक्ट्रिसिटी मीटर चार्ज, आईजीएल कनेक्शन चार्ज, डाटा एण्ड वॉयस इक्यूपिमेंट चार्ज एवं सीएएन चार्ज, हेतु संबंधित रख-रखाव कंपनी के पक्ष में निर्धारित प्रभार शुल्क जमा कराकर अनुबंध प्राप्त करना होगा प्रभार शुल्क निम्नवत होंगे।

भद	प्रभार शुल्क
इन्ट्रेस्ट फ्री ढेन्टेनेस सिक्थोरिटी (वन टाइम)	एलआईजी - ₹ 9415/- ईडब्लूएस - ₹ 6728/-
इलैक्ट्रिसिटी मीटर चार्ज	₹ 20,000/- प्रति फलैट
पावर बैकअप	₹ 20,000/- प्रति किलो वाट
आईजीएल कनेक्शन चार्ज	₹ 13,560/- (एक्सक्लूसिव टैक्सेस)
डाटा एण्ड वॉयस इक्विपमेन्ट चार्ज	₹ 16,000/- प्रति फलैट (ऑप्शनल)
कामन एरिया ढेन्टेनेस चार्ज (सीएएम)	रख-रखाव अनुबंध के अनुसार
सीवर एण्ड वाटर कनेक्शन चार्ज	₹ 2,000/- प्रति फलैट चार्ज
पार्किंग	₹/- प्रति बेसमेंट, ₹/- प्रति कार, ₹/- प्रति स्कूटर
*प्रभावी GST अतिरिक्त देय होगा।	

15.3 यदि आबंटी निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो आबंटी को रुपये 1000 प्रतिमाह की दर से चौकीदारी, रखरखाव शुल्क कंपनी को देना होगा तथा प्रत्येक वर्ष कोस्ट इंडेक्स के आधार पर इसमें स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी।

16.0 भवनो का प्रयोग:

16.1 आबंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

17.0 अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें:

17.1 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्तों के संशोधन का सर्वाधिकार मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० में निहित होगा जो समस्त आवेदकों/आबंटियों को मान्य होंगे।

17.2 योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा जिसे आबंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

17.3 योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० का निर्णय अन्तिम होगा।

17.4 किसी भी विवाद की दशा में गाजियाबाद कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। चाहे भले ही आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि/आवेदन पत्र की किसी भी बैंक शाखा में जमा किया गया हो।

कोटा कोड:

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड
1.	अनुसूचित जाति	02
2.	अनुसूचित जनजाति	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी आयु 50 वर्ष से अधिक हो	
(क)	रक्षा कार्मिक	05
(ख)	सरकारी कर्मचारी	06
5. (क)	स्वतन्त्रता सेनानी	08
(ख)	संसद सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद सदस्य	09
6. (क)	उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी	10
(ख)	सिटी बोर्ड कर्मचारी	11
(ग)	उ०प्र० नगर निगम कर्मचारी	12
(घ)	उ०प्र० जल संस्थान कर्मचारी	13

क्रम संख्या	वर्ग	कोटा कोड
(ड)	उ०प्र० हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14
(घ)	उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15
(छ)	आवास बन्धु उ०प्र० के कर्मचारी (आवास बन्धु उ०प्र० के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17

व्यवसाय कोड:

क्रम संख्या		कोटा कोड
1	नौकरी	01
2	व्यवसाय	02
3	अन्य	03

विकलांगता एवं वरिष्ठता नागरिकता कोड :

क्रम संख्या		कोटा कोड
1	विकलांगता कोड	01
2	वरिष्ठता नागरिक कोड	07

आय कोड :

क्रम संख्या		कोटा कोड
1	दुर्बल आय वर्ग	01
2	अल्प आय वर्ग	02

पंजीकरण दिनांक

आवेदन पत्र संख्या:

Form No. _____

कोयल एन्क्लेव के पास, आवास विकास के सामने
भौपुरा टीला नौड रोड गाजियाबाद

गाजियाबाद शहर में उत्तर प्रदेश शासन की नीति के अधीन नैसर्स एन.आर. प्रोव्यू सिलटेक प्रा० लि० द्वारा विकसित हो रहे दिल्ली 99 में दुर्बल आय एवं अल्प आय वर्ग परिवारों हेतु आवासीय योजना

- | | | |
|--|---|--|
| 1. योजना का नाम
Scheme Name | : | दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु पंजीकरण
Registration for allotment of EWS/LIG House |
| 2. सम्पत्ति श्रेणी व कोड
Property Category & Code | : | दुर्बल आय वर्ग <input type="text"/> अल्प आय वर्ग <input type="text"/>
EWS LIG |
| 3. नाम (श्री/सुश्री/सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.) | : | <input type="text"/> |
| 4. संयुक्त नाम (यदि हो)
Joint Name (if any) | : | <input type="text"/> |
| 5. पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence | : | <input type="text"/> |
| 6. पिन कोड
Pin Code | : | <input type="text"/> |
| 7. नामित व्यक्ति का नाम
Nominee Name | : | <input type="text"/> |
| 8. लिंग
Sex | : | पुरुष <input type="text"/> महिला <input type="text"/> अन्य <input type="text"/>
Male Female Other |
| 9. वर्ग कोड
Category Code | : | <input type="text"/> |
| 10. वैवाहिक स्तर
Marital Status | : | विवाहित <input type="text"/> अविवाहित <input type="text"/>
Married Unmarried |
| 11. कोटा कोड
Quota Code | : | <input type="text"/> |

12. व्यवसाय कोड
Occupation Code

--	--
13. विकलांगता/वरिष्ठ कोड
Handicaped/Senior Citizen Code

--	--
14. आय कोड
Income Code

--	--
15. वार्षिक आय
Annual Income

--	--	--	--	--	--	--	--
16. पिता/पति का नाम श्री
Fathers/Husband's Name Mr-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17. स्थायी पता
Permanent Address _____

18. आवेदक का बैंक खाता संख्या
Applicant's Bank Account Number _____
19. बैंक शाखा का नाम व आईएफएससी कोड
Bank Branch Name & IFSC Code _____
(कृपया अपने बैंक खाते के निरस्त
चौक की कापी संलग्न करें)
20. आवेदक का दूरभाष नं० व ईमेल
Applicants Phone No. & Email _____
21. जन्म की गई घनराशि का विवरण
धनराशि _____
बैंक का नाम व शाखा _____

संलग्नक (यदि कोई हो)
Enclosure (If Any)

आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदकों के हस्ताक्षर
Signature of Applicant(s)

पंजीकरण दिनांक

Form No. :
Receipt Property Section Copy

आवेदक प्रति / रसीद
Applicant Copy/Receipt

योजना का नाम : दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु
पंजीकरण

Scheme Name: Registration for allotment of EWS/
LIG houses.

सम्पत्ति श्रेणी: समूह आवासीय
Property Category: Group Housing

नाम (श्री / सुश्री / सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)

पिता / पति का नाम श्री
Father's/Husband
name Mr.

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence

जान की गई धनराशि
Amt. deposited ₹

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

Received a sum of ₹

DD no. Dates

Drawn on

Date of receipt

DD	MM	YY

Seal & Signature of the bank

पंजीकरण दिनांक

Form No. :
Receipt Property Section Copy

रसीद
Receipt

योजना का नाम : दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग भवनों हेतु
पंजीकरण

Scheme Name: Registration for allotment of EWS/
LIG houses.

सम्पत्ति श्रेणी: समूह आवासीय
Property Category: Group Housing

नाम (श्री / सुश्री / सर्वश्री)
Name (Mr./Ms./Mrs.)

पिता / पति का नाम श्री
Father's/Husband
name Mr.

पत्र व्यवहार का पता
Address for correspondence

जान की गई धनराशि
Amt. deposited ₹

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर
Date: Signature of Applicant

Received a sum of ₹

DD no. Dates

Drawn on

Date of receipt

DD	MM	YY

Seal & Signature of the bank

DECLARATION/ घोषणा

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० द्वारा दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों की योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे।
 2. यदि मैं/हम बिक्री के लिए भवन का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ/करते हैं तब मैं/हम मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० द्वारा अल्प/दुर्बल आय वर्ग भवनों की द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करेंगे।
 3. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लॉटरी सिस्टम के द्वारा आवंटित किया गया भवन मुझे/हमें प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार होगा तथा मुझे/हमें इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
 4. मैं/हम सहमत हूँ कि मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद के निपटाने का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद न्यायालय का होगा।
 5. बिन्दु 2.1 में दर्शित भवन का बेसिक मूल्य है और उस पर प्रभावी जीएसटी का भुगतान करने में मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
 6. आवेदन पत्र में मरी गई सभ्यत सूचनाएं मेरे संज्ञान में सही हैं। भविष्य में यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसके लिए मैसर्स एम.आर. प्रोव्यू रियलटेक प्रा० लि० द्वारा की गई कार्यवाही मुझे/हमें मान्य होगी।
1. I/We declare that I/we have read the rules of the EWS/LIG scheme launched by M/s. M.R. Provew Realtech Pvt. Ltd.
 2. If I/we do not accept the allotment of the house for sale] then I/we shall accept the forfeiture/ deduction made by M/s. M.R. Provew Realtech Pvt. Ltd. under the rules.
 3. The house allotted to me through lottery system by GDA shall be acceptable to me/us under any circumstances. I/we shall have no objection or dispute of any kind in this regard.
 4. I/we agree that in case of dispute between M/s. M.R. Provew Realtech Pvt. Ltd. and the applicant, the Ghaziabad court will have exclusive jurisdiction.
 5. I/we agree that the cost of house shown in point 2.1 is basic cost and will not have any objection to pay applicable GST as proposed by Government time to time.
 6. All declaration filled in the application form are correct in my knowledge. In future if M/s. M.R. Provew Realtech Pvt. Ltd. find any information wrong, then I/we accept actions taken by M/s. M.R. Provew Realtech Pvt. Ltd. against me / us under the rules.

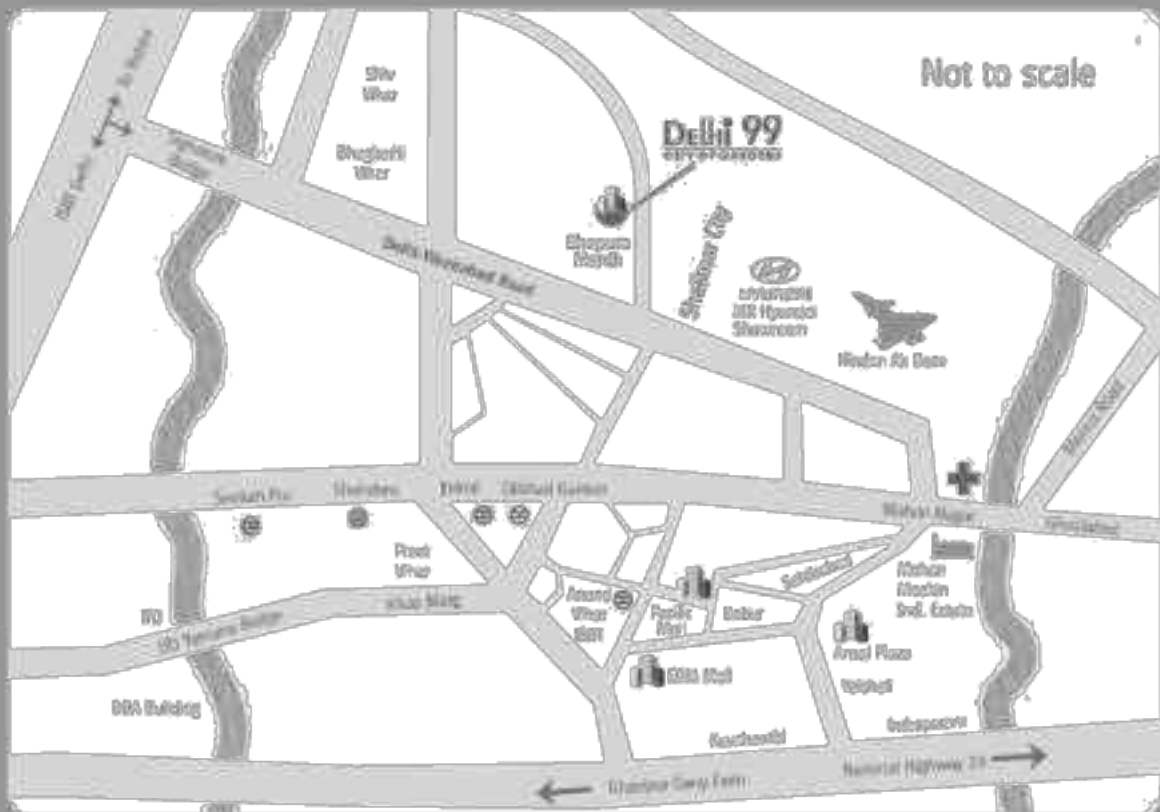
Place:

आवेदक के हस्ताक्षर

Date:

Signature of the applicant (s)

LOCATION MAP



Distance Chart

- Proposed Metro Station - 4 km. • Wazirabad Bridge - 12 km. • I.S.B.T. Kashmiri Gate - 15 km.
• GTB Hospital - 4 km. • I.S.B.T. Anand Vihar - 7.5 km. • Kaushambi - 7.5 km. • Disha Garden Metro
Station - 6.5 km. • Rajender Nagar / Sahibabad - 7 km. • Connaught Place - 21 km. • I.S.B.T. Sarai
Kale Khan - 18 km.

M.R. PROVIEW

M.R. PROVIEW REALTECH PVT. LTD.

Corporate Office: The Great Northern Bazar (GNB), NH - 58, Raj Nagar Extension, Near G.P. Goenka School, Ghaziabad - 201017 (U.P). Email: info@mrproviewgroup.com Visit at: www.mrproviewgroup.com

Site Address : Delhi-99, Opp. Avas Vikas Bhupura Tila More Road, Ghazalabad, U.P.

Call : 0120 4345530